मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में नगर निकायों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पार्क निर्माण के लिए नीति प्रारूप पर विचार–विमर्श हेतु दिनांक– 05.10.2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

1. **विकास आयुक्त, बिहार।**
2. **प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग।**
3. **प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग।**
4. **मुख्य वन संरक्षक, बिहार**
5. **वन संरक्षक, पटना**

बैठक में राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पार्कों के विकास एवं रख–रखाव का विषय पर्यावरण एवं वन विभाग को आवंटित किए जाने पर विचार विमर्श किया गया।

विचारोपरांत निम्नांकित निर्णय लिए गए :–

1) सैद्धान्तिक रूप से यह निर्णय लिया गया कि पार्कों का विकास एवं रख–रखाव पर्यावरण एवं वन विभाग के स्तर से कराया जाय। परन्तु इसके लिए विभाग को विभिन्न स्तरों पर पद सृजन कराने की आवश्यकता होगी। पर्यावरण एवं वन विभाग राज्य के शहरी क्षेत्रों के लिए पार्कों के विकास एवं रख–रखाव हेतु आवश्यकतानुसार पद सृजन की कार्रवाई करें।

2) ग्रामीण क्षेत्रों में पार्कों का विकास एवं रख–रखाव ग्राम पंचायतों के माध्यम से हो। इसके लिए पर्यावरण एवं वन विभाग मॉडल प्राक्कलन तैयार करें, जिसमें रख–रखाव का भी प्रावधान हो। पर्यावरण एवं वन विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारी निर्माण एवं रख–रखाव के लिए ग्राम पंचायतों को तकनीकी सहयोग देंगे।

3) शहरी क्षेत्रों में पार्कों के विकास एवं रख–रखाव हेतु राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर Society का गठन पर्यावरण एवं वन विभाग करेगा।

4) पटना शहरी क्षेत्र के लिए पार्कों के निर्माण, विकास एवं रख–रखाव का सम्पूर्ण कार्य पर्यावरण एवं वन विभाग के स्तर से किया जाएगा।

5) शहरी क्षेत्रों के लिए, जो नगर निकाय अपनी चिह्नित भूमि पर अपनी राशि से स्वयं पार्क का विकास करना चाहते है, वे पर्यावरण एवं वन विभाग से तकनीकी सहयोग ले सकते हैं। पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा ऐसे नगर निकायों के लिए रख–रखाव के प्रावधान सहित प्राक्कलन तैयार कराकर उपलब्ध कराया जाएगा तथा पर्यवेक्षण में भी सहयोग किया जाएगा।

अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

(दीपक कुमार),
मुख्य सचिव, बिहार।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–2ब०/विविध–27–29/2010 5243 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 9/10/18

प्रतिलिपिः— प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग/प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग/मुख्य वन संरक्षक, पटना/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/वन संरक्षक, पटना/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/10/2018

(चैतन्य प्रसाद),
सरकार के प्रधान सचिव।